| सत्यमेव जयते | राजस्थान राजपत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>Extraordinary |
|---|---|---|
| | साधिकार प्रकाशित | Published by Authority |
| | माघ 14, सोमवार, *शाके 1946-* फरवरी *03,* 2025<br>*Magha 14, Monday, Saka 1946- February 03, 2025* | |


**भाग-3(क)**

**राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत**

**राजस्थान विधान सभा सचिवालय**

अधिसूचना

**जयपुर, 03 फरवरी, 2025**

**संख्या एफ. 13(01)विशा/विस/2025** :-राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, **2025** जैसा कि दिनांक **03 फरवरी, 2025** को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

भारत भूषण शर्मा,
**प्रमुख सचिव।**

**2025** का विधेयक **सं.1**

## राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक, 2025

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)**

दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधिविरुद्ध संपरिवर्तन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.-** (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

**2. परिभाषाएं.-** (1) इस अधिनियम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''प्रलोभन'' से अभिप्रेत है और इसमें-

(i) नकद या वस्तु के रूप में कोई दान, परितोषण, सुलभ धन या भौतिक लाभ;

(ii) किसी धार्मिक निकाय द्वारा संचालित विद्यालय में नियोजन, नि:शुल्क शिक्षा; या

(iii) बेहतर जीवन शैली, दैवीय अप्रसाद या अन्यथा,

के रूप में प्रलोभित करने का प्रस्ताव, सम्मिलित है;

(ख) "प्रपीड़न" से, मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल द्वारा शारीरिक क्षति कारित करने या उसकी धमकी के उपयोग द्वारा किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करना, अभिप्रेत है;

(ग) "संपरिवर्तन" से, किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं का धर्म त्यागना और कोई दूसरा धर्म ग्रहण करना, अभिप्रेत है;

(घ) "बल" में संपरिवर्तित या संपरिवर्तित होने हेतु ईप्सित व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति को या संपत्ति के प्रतिरूपण के लिए बल प्रदर्शित करना या किसी प्रकार की क्षति की धमकी देना, सम्मिलित है;

(ङ) "कपटपूर्ण साधन" में, मिथ्या नाम, उपनाम, और धार्मिक प्रतीक द्वारा या अन्यथा किसी प्रकार का प्रतिरूपण, सम्मिलित है;

(च) "सामूहिक संपरिवर्तन" से, जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों को संपरिवर्तित किया जाये, अभिप्रेत है;

(छ) "अवयस्क" से, अठारह वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति, अभिप्रेत है;

(ज) "धर्म" से, भारत या उसके किसी भाग में यथा प्रचलित उपासना पद्धति, आस्था, विश्वास, पूजा या जीवन शैली की कोई संगठित प्रणाली, और जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या रूढि के अधीन परिभाषित हो, अभिप्रेत है;

(झ) "धर्म परिवर्तक" से, किसी धर्म का व्यक्ति या के व्यक्ति, जो एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का कोई कार्य संपादित करे, अभिप्रेत है;

(ञ) "असम्यक् असर" से, ऐसे असर का प्रयोग करने वाले व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए किसी अन्य को प्रेरित करने के क्रम में, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी शक्ति का अविवेकपूर्ण प्रयोग करना या अन्य व्यक्ति पर असर डालना, अभिप्रेत है;

(ट) "विधिविरुद्ध संपरिवर्तन" से, कोई संपरिवर्तन अभिप्रेत है जो देश की विधि के अनुसार न हो।

(2) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जो इसमें प्रयुक्त किये गये हैं और परिभाषित नहीं है, किन्तु जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46), और राजस्थान साधारण खंड

अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं.8) में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो उन संहिताओं/अधिनियमों में क्रमशः उन्हें समनुदेशित है।

**3. दुर्व्यपदेशन, बल, कपट, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा एक धर्म से किसी दूसरे धर्म में संपरिवर्तन का प्रतिषेध.-** (1) कोई व्यक्ति दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के प्रयोग या व्यवहार द्वारा या किन्हीं कपटपूर्ण साधनों द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, प्रत्यक्षत: या अन्यथा, एक धर्म से दूसरे में संपरिवर्तन करने या संपरिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे संपरिवर्तन का दुष्प्रेरण, विश्वास दिलाना या षड्यंत्र नहीं करेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, विवाह के अनुष्ठान या विवाह की प्रकृति के किसी संबंध द्वारा संपरिवर्तन, इस उप-धारा में प्रगणित कारकों के कारण, इसमें सम्मिलित समझा जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति अपने ठीक पूर्व के धर्म में पुन: संपरिवर्तित होता है, तो उसे इस अधिनियम के अधीन संपरिवर्तन नहीं समझा जायेगा।

**स्पष्टीकरण.-** इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए ठीक पूर्व के धर्म से वह धर्म अभिप्रेत है, जिसमें उस व्यक्ति की आस्था, विश्वास था या जो व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से और स्वतंत्र रूप से अपनाया गया था।

**4. प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए सक्षम व्यक्ति.-** कोई भी व्यथित व्यक्ति, उसके माता-पिता, भाई, बहिन या अन्य कोई व्यक्ति जो उससे रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण द्वारा संबंधित हो, ऐसे संपरिवर्तन, जिससे धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन होता हो, की प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकेगा।

**5. धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए दंड.-** (1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह किसी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पन्द्रह हजार रुपये से कम नहीं होगा:

परन्तु यह कि जो कोई भी किसी अवयस्क, महिला या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के संबंध में, धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा:

परन्तु यह और कि जो कोई सामूहिक संपरिवर्तन के संबंध में धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और ऐसे जुर्माने के लिए भी दायी होगा, जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(2) न्यायालय, उक्त संपरिवर्तन के लिए पीड़ित को अभियुक्त द्वारा संदेय समुचित प्रतिकर भी अनुदत्त करेगा जो अधिकतम पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा और जो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

(3) जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में दोषसिद्ध ठहराये जाने पर इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध के लिए पुन: दोषसिद्ध ठहराया जाता है, वह ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए ऐसे दंड का दायी होगा जो इस अधिनियम के अधीन उसके लिए उपबंधित किये गये दंड के दो गुना से अधिक नहीं होगा।

**6. विधिविरुद्ध संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन के लिए किया गया विवाह या विपर्ययेन का शून्य घोषित किया जाना.-** विधिविरुद्ध संपरिवर्तन के एकमात्र प्रयोजन के लिए एक धर्म के पुरुष द्वारा किसी दूसरे धर्म की महिला के साथ या तो विवाह से पूर्व या के पश्चात् स्वयं को संपरिवर्तित करके या विवाह से पूर्व या के पश्चात् महिला को संपरिवर्तित करके, किया गया कोई विवाह या विपर्ययेन, विवाह के किसी भी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी याचिका पर, कुटुंब न्यायालय द्वारा या जहां कुटुंब न्यायालय स्थापित न हो, वहां ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा, शून्य घोषित कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि धारा 8 और 9 के समस्त उपबंध इस प्रकार किये जाने वाले विवाहों पर लागू होंगे।

**7. अपराधों का अजमानतीय और संज्ञेय होना.-** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केंद्रीय अधिनियम सं. 46) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध, संज्ञेय और अजमानतीय होंगे और सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे।

**8. धर्म-संपरिवर्तन पूर्व घोषणा और संपरिवर्तन के बारे में पूर्व-रिपोर्ट.-** (1) वह व्यक्ति, जो अपना धर्म संपरिवर्तित करना चाहता/चाहती है, उसे कम से कम साठ दिवस पूर्व जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, अनुसूची-1 में विहित प्ररूप में यह घोषणा देनी होगी कि वह स्वयं और अपनी स्वतंत्र सहमति से तथा बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक् असर या प्रलोभन के अपना धर्म-संपरिवर्तन करना चाहता/चाहती है।

(2) धर्म संपरिवर्तक, जो किसी एक धर्म के व्यक्ति का किसी दूसरे धर्म में संपरिवर्तन अनुष्ठान संपादित करेगा, ऐसे संपरिवर्तन की एक माह पूर्व सूचना, अनुसूची-2 में विहित प्ररूप में, जिला मजिस्ट्रेट या उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त अपर जिला मजिस्ट्रेट की रैंक से अनिम्न किसी अन्य अधिकारी को देगा, जहां ऐसा अनुष्ठान संपादित किया जाना प्रस्तावित हो।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन सूचना प्राप्त करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट, प्रस्तावित धर्म-संपरिवर्तन के वास्तविक आशय, प्रयोजन और कारण के संबंध में पुलिस के माध्यम से जांच संचालित करायेगा।

(4) उप-धारा (1) और/या उप-धारा (2) का उल्लंघन, प्रस्तावित संपरिवर्तन को अवैध और शून्य बना देने का प्रभाव रखेगा।

(5) जो कोई उप-धारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो छः मास से कम नहीं होगी किंतु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(6) जो कोई उप-धारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जायेगा और वह जुर्माने के लिए भी दायी होगा जो पच्चीस हजार रुपये से कम नहीं होगा।

**9. धर्म-संपरिवर्तन पश्चात् घोषणा.-** (1) संपरिवर्तित व्यक्ति ऐसी घोषणा, संपरिवर्तन की तारीख से साठ दिवस के भीतर, अनुसूची-3 में विहित प्ररूप में, उस जिले के, जिला मजिस्ट्रेट को भेजेगा, जिसमें संपरिवर्तित व्यक्ति साधारणतः निवास करता हो।

(2) जिला मजिस्ट्रेट, पुष्टिकरण की तारीख तक घोषणा की एक प्रति, कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

(3) उक्त घोषणा में अपेक्षित ब्यौरे अर्थात् संपरिवर्तित व्यक्ति की विशिष्टियां जैसे कि जन्मतिथि, स्थायी पता और वर्तमान निवास स्थान, पिता/पति का नाम, वह धर्म जिससे संपरिवर्तित मूलतः संबंधित है और वह धर्म जिसमें वह संपरिवर्तित हुआ/हुई है, संपरिवर्तन की तारीख़ तथा स्थान और संपरिवर्तन के लिए अपनायी गयी प्रक्रिया की प्रकृति।

(4) संपरिवर्तित व्यक्ति, अपनी पहचान स्थापित करने के लिए, घोषणा भेजने/फाइल करने की तारीख से 21 दिवस के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत होगा और घोषणा की विषय-वस्तु की पुष्टि करेगा।

(5) जिला मजिस्ट्रेट, घोषणा और पुष्टिकरण के तथ्य, तत्प्रयोजनार्थ बनाये गये रजिस्टर में, अभिलिखित करेगा। यदि कोई आक्षेप अधिसूचित किये जाते हैं, तो वह उन्हें सामान्य रूप से अभिलिखित कर सकेगा, अर्थात् आक्षेपकर्ताओं का नाम और विशिष्टियां तथा आक्षेप की प्रकृति।

(6) घोषणा, पुष्टिकरण और रजिस्टर से उद्धरण की प्रमाणित प्रतियां पक्षकारों को, जिन्होंने घोषणा दी हो या उनके निवेदन पर उनके प्राधिकृत विधिक प्रतिनिधि को, दिये जायेंगे।

(7) उप-धारा (1) से (4) का उल्लंघन उक्त संपरिवर्तन को अवैध और शून्य बना देने का प्रभाव रखेगा।

**10. किसी संस्था या संगठन द्वारा अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण किये जाने पर दंड.-** (1) यदि कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो संस्था या, यथास्थिति, संगठन के मामलों के प्रभारी व्यक्ति या व्यक्तिगण, धारा 5 के अधीन यथा उपबंधित दंड के अध्यधीन होंगे और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संगठन या संस्था का रजिस्ट्रीकरण, इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्देश पर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करने वाली ऐसी संस्था या संगठन को कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्रदान नहीं करेगी।

**11. अपराध के पक्षकार.-** इस अधिनियम के अधीन जब कोई अपराध कारित किया जाता है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक, अपराध कारित करने का भागीदार समझा जायेगा और अपराध का दोषी होगा और वह इस प्रकार आरोपित किया जायेगा जैसे कि उक्त अपराध उसने वास्तव में कारित किया हो, अर्थात्,-

(i) प्रत्येक व्यक्ति जो वास्तव में ऐसा कार्य करता है, जिससे अपराध गठित होता है;

(ii) प्रत्येक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए समर्थ बनाने या सहायता करने के प्रयोजन से कोई कार्य करता है या करने का लोप करता है;

(iii) प्रत्येक व्यक्ति जो अपराध कारित करने में अन्य व्यक्ति की सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है;

(iv) कोई व्यक्ति जो अपराध कारित करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को परामर्श देता है, विश्वास दिलाता है या उपाप्त करता है।

**12. सबूत का भार.-** कोई धर्म-संपरिवर्तन दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं था, इस बात के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने धर्म-संपरिवर्तन कराया है और जहां ऐसा धर्म-संपरिवर्तन किसी व्यक्ति द्वारा सुकर बनाया गया हो, वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा।

**13. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.-** किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित, या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए या करने के लोप के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

**14. अधिनियम का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.-** इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

**15. नियम बनाने की शक्ति.-** (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

**16. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.-** (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

**अनुसूची-1**

घोषणा का प्ररूप

[धारा 8 की उप-धारा (1) देखें]

**एक धर्म से किसी दूसरे में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में सूचना**

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला .....

राजस्थान।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री.....

निवासी.....धर्म से.....धर्म में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान संपादित करने का आशय रखता/रखती हूं, एतद्द्वारा धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा यथाअपेक्षित आशयित संपरिवर्तन की सूचना देता/देती हूं:

1. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का नाम.....

2.(क) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति के पिता का नाम.....

(ख) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति की माता का नाम.....

3. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का पता.....

मकान संख्या.....वार्ड संख्या.....

मोहल्ला.....गांव.....तहसील.....जिला.....

4. आयु.....(जन्म तिथि)

5. लिंग .....

6. व्यवसाय और मासिक आय.....

7. क्या विवाहित या अविवाहित है.....

8. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम..... 9. यिद कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम और पूरा पता.....

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति की विशिष्टियां..... 11. संपूर्ण ब्यौरों के साथ उस स्थान का नाम, जहां संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित है-

मकान संख्या.....वार्ड संख्या.....मोहल्ला.....

ग्राम.....तहसील.....जिला.....

12. संपरिवर्तन की तारीख.....

13. धार्मिक पुजारी:.....

(क) नाम, अर्हता और अनुभव.....

(ख) पता.....

**सत्यापन**

मैं,..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

स्थान.....

**अनुसूची-2**

सूचना का प्ररूप

[धारा 8 की उप-धारा (2) देखें]

**एक धर्म से किसी दूसरे में आशयित संपरिवर्तन के संबंध में धार्मिक पुजारी द्वारा सूचना**

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला .....

राजस्थान।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री..... निवासी.....

.....एतद्द्वारा धारा 8 की उप-धारा (2) द्वारा यथा अपेक्षित.....धर्म से.....धर्म में उपरोक्त आशयित संपरिवर्तन के लिए सूचना देता/देती हूं जो निम्नानुसार हैं:-

1. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का नाम.....

2.(क) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति के पिता का नाम.....

(ख) संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति की माता का नाम.....

3. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति का पता.....

मकान संख्या.....वार्ड संख्या.....

मोहल्ला.....गांव.....तहसील.....जिला.....

4. आयु.....(जन्म तिथि)

5. लिंग .....

6. व्यवसाय और मासिक आय.....

7. क्या विवाहित या अविवाहित है.....

8. संपरिवर्तित किये जाने वाले व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम.....

9. यिद कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम और पूरा पता.....

10. क्या वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का/की है, और यदि ऐसा है तो ऐसी जाति की विशिष्टियां.....

11. संपूर्ण ब्यौरों के साथ उस स्थान का नाम, जहां संपरिवर्तन अनुष्ठान किया जाना आशयित है-

मकान संख्या..... वार्ड संख्या.....मोहल्ला..... ग्राम.....

तहसील.....जिला.....

12. संपरिवर्तन की तारीख.....

13. धार्मिक पुजारी:.....

(क) नाम, अर्हता और अनुभव.....

(ख) पता.....

**सत्यापन**

मैं,..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

स्थान.....

**अनुसूची-3**

घोषणा का प्ररूप

(धारा 9 देखें)

**एक धर्म से किसी दूसरे में संपरिवर्तन के संबंध में सूचना**

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,

जिला .....

राजस्थान।

महोदय,

मैं.....पुत्र/पुत्री..... निवासी.....

.....एतद्द्वारा.....धर्म से..... धर्म में संपरिवर्तन हेतु आवश्यक अनुष्ठान सम्पादित कर लिये जाने पर, धारा 9 द्वारा यथाअपेक्षित संपरिवर्तन संबंधी सूचना देता/देती हूं, जो निम्नानुसार हैं:-

1. संपरिवर्तित व्यक्ति का पूरा नाम:

(क) संपरिवर्तन के पूर्व.....

(ख) संपरिवर्तन के पश्चात्.....

2. (क) संपरिवर्तित व्यक्ति के पिता का नाम.....

(ख) संपरिवर्तित व्यक्ति की माता का नाम.....

3. संपरिवर्तित व्यक्ति का पता.....

मकान संख्या..... वार्ड संख्या.....

मोहल्ला.....गांव..... तहसील..... जिला.....

4. आयु.....(जन्मतिथि)

5. लिंग .....

6. व्यवसाय और मासिक आय .....

7. क्या विवाहित या अविवाहित है.....

8. संपरिवर्तित व्यक्ति पर आश्रित व्यक्तियों, यदि कोई हों, के नाम.....

9. यिद कोई अवयस्क हो, तो संरक्षक, यदि कोई हो, का नाम व पूरा पता.....

10. क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, और यदि ऐसा है, तो ऐसी जाति की विशिष्टियां.....

11. संपूर्ण ब्यौरों के साथ उस स्थान का नाम, जहां संपरिवर्तन अनुष्ठान सम्पन्न हुआ हो-

मकान संख्या..... वार्ड संख्या..... मोहल्ला..... ग्राम.....

तहसील.....जिला.....

12. संपरिवर्तन की तारीख.....

13. रीति जिससे संपरिवर्तन का अनुष्ठान किया जाये.....

14. धार्मिक पुजारी:.....

(क) नाम, अर्हता और अनुभव.....

(ख) पता.....

15. धार्मिक पुजारी से भिन्न कम से कम दो ऐसे व्यक्तियों के नाम, पते एवं अन्य विशिष्टियां (संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंध, यदि कोई हो) जिन्होंने संपरिवर्तन अनुष्ठान में भाग लिया था:

(1) .....

(2).....

**सत्यापन**

मैं,..... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि ऊपर कथित सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

हस्ताक्षर

साक्षी: (1).....

साक्षी: (2).....

दिनांक.....

स्थान.....

---

**उद्देश्यों और कारणों का कथन**

भारत का संविधान समस्त व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है जो भारत की सामाजिक समरसता और भावना को प्रतिबिंबित करती है। इस अधिकार का उद्देश्य भारत में धर्म निरपेक्षता की भावना को बनाये रखना है। संविधान के अनुसार, राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य के समक्ष समस्त धर्म समान हैं, और किसी धर्म को किसी अन्य पर अधिमानता नहीं दी जायेगी। समस्त व्यक्ति अपनी रुचि के किसी भी धर्म का उपदेश देने, आचरण करने और प्रचार करने के लिए स्वतंत्र हैं।

संविधान प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तथापि, अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता के वैयक्तिक अधिकार को धर्मांतरण के सामूहिक अधिकार के अर्थान्वयन में विस्तारित नहीं किया जा सकता; धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संपरिवर्तन करने वाले व्यक्ति और संपरिवर्तित होना चाहने वाले व्यक्ति से समान रूप से संबंधित होता है।

तथापि, हाल ही में ऐसे कई उदाहरण सामने आये हैं, जहां सीधे-सादे व्यक्तियों को दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या कपटपूर्ण साधनों द्वारा एक धर्म से किसी दूसरे में संपरिवर्तित किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित विधि देश के विभिन्न राज्यों में पहले से ही विद्यमान है किंतु राजस्थान में उक्त विषय पर कोई कानून नहीं था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों या विवाह द्वारा एक धर्म से किसी दूसरे में विधिविरुद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध करने के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए एक विधि अधिनियमित किया जाना विनिश्चित किया गया था।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

भजन लाल शर्मा,
**प्रभारी मंत्री।**

**राजस्थान विधान सभा**

---

दुर्व्यपदेशन, बल, असम्यक् असर, प्रपीड़न, प्रलोभन द्वारा या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में विधिविरुद्ध संपरिवर्तन और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।

---

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)**

---

भारत भूषण शर्मा,
**प्रमुख सचिव।**

**Bill No.1 of 2025**

(Authorised English Translation)

# THE RAJASTHAN PROHIBITION OF UNLAWFUL CONVERSION OF RELIGION BILL, 2025

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A*

*Bill*

*to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage and for the matters connected therewith or incidental thereto.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title, extent and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, 2025.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.-** (1) In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "allurement" means and includes offer of any temptation in the form of-

(i) any gift, gratification, easy money or material benefit either in cash or kind;

(ii) employment, free education in school run by any religious body; or

(iii) better lifestyle, divine displeasure or otherwise;

(b) "coercion" means compelling an individual to act against his/her will by the use of psychological pressure or physical force causing bodily injury or threat thereof;

(c) "conversion" means renouncing one's own religion and adopting another religion;

(d) "force" includes a show of force or a threat of injury of any kind to the person converted or sought to be converted or to any other person or property impersonation;

(e) "fraudulent means" includes impersonation of any kind, by false name, surname, and religious symbol or otherwise;

(f) "mass conversion" means where two or more persons are converted;

(g) "minor" means a person under eighteen years of age;

(h) "religion" means any organized system of worship pattern, faith, belief, worship or lifestyle, as prevailing in India or any part of it, and defined under any law or custom for the time being in force;

(i) "religion convertor" means person or persons of any religion who performs any act of conversion from one religion to another religion;

(j) "undue influence" means the unconscientious use by one person of his/her power or influence over another in order to persuade the other to act in accordance with the will of the person exercising such influence;

(k) "unlawful conversion" means any conversion not in accordance with law of the land.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 to 2023), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), and the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955) shall have the meanings respectively assigned to them in those Codes/Acts.

**3. Prohibition of conversion from one religion to another religion by misrepresentation, force, fraud, undue influence, coercion, allurement.-** (1) No person shall convert or attempt to convert, either directly or otherwise, any other person from one religion to another by use or practice of misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means. No person shall abet, convince or conspire such conversion.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section conversion by solemnization of marriage or relationship in the nature of marriage on account of factors enumerated in this sub-section shall be deemed included.

(2) If any person re-converts to his immediate previous religion, the same shall not be deemed to be a conversion under this Act.

**Explanation.-** For the purposes of this sub-section immediate previous religion means the religion in which the person had faith, belief or was practised by the person voluntarily and freely.

**4. Person competent to lodge First Information Report.-** Any aggrieved person, his/her parents, brother, sister, or any other person who is related to him/her by blood, marriage or adoption may lodge a First Information Report of such conversion which contravenes the provisions of section 3.

**5. Punishment for contravention of provisions of section 3.-** (1) Whoever contravenes the provisions of section 3 shall, without prejudice to any civil liability, be punished with imprisonment for a term, which shall not be less than one year but which may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees fifteen thousand:

Provided that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of a minor, a woman or a person belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than two years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall be not be less than rupees twenty five thousand:

Provided further that whoever contravenes the provisions of section 3 in respect of mass conversion shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to ten years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees fifty thousand.

(2) The Court shall also grant appropriate compensation payable by the accused to victim of said conversion which may extend maximum to rupees five lakh and shall be in addition to fine.

(3) Whoever having been previously convicted of an offence under this Act is again convicted of an offence punishable under this Act, shall be liable for every such subsequent offence to punishment not exceeding double the punishment provided therefor under this Act.

**6. Marriage done for sole purpose of Unlawful Conversion or vice-versa to be declared void.-** Any marriage done for sole purpose of unlawful conversion or vice-versa by the man of one religion with the woman of another religion, either by converting himself/herself before or after marriage, or by converting the woman before or after marriage, shall be declared void by the Family Court or where Family Court is not established, the Court having jurisdiction to try such case on a petition presented by either party thereto against the other party of the marriage:

Provided that all the provisions of sections 8 and 9 shall apply for such marriages to be solemnized.

**7. Offences to be non-bailable and cognizable.-** Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023), all the offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and triable by the Court of Sessions.

**8. Declaration before conversion of religion and pre-report about conversion.-** (1) One who desires to convert his/her religion, shall give a declaration in the form prescribed in Schedule-I at least sixty days in advance, to the District Magistrate or the Additional District Magistrate specially authorized by the District Magistrate, that he/she wishes to convert his/her religion on his/her own and with his/her free consent and without any force, coercion, undue influence or allurement.

(2) The religion convertor, who performs conversion ceremony for converting any person of one religion to another religion, shall give one month's advance notice in the form prescribed in Schedule-II of such conversion, to the District Magistrate or any other officer not below the rank of Additional District Magistrate appointed for that purpose by the District Magistrate of the District where such ceremony is proposed to be performed.

(3) The District Magistrate, after receiving the information under sub-sections (1) and (2), shall get an enquiry conducted through police with regard to real intention, purpose and cause of the proposed religious conversion.

(4) Contravention of sub-section (1) and/or sub-section (2) shall have the effect of rendering the proposed conversion, illegal and void.

(5) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to three years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees ten thousand.

(6) Whoever contravenes the provisions of sub-section (2) shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but may extend to five years and shall also be liable to fine which shall not be less than rupees twenty five thousand.

**9. Declaration post conversion of religion.-** (1) The converted person shall send a declaration in the form prescribed in Schedule-III within sixty days of the date of conversion, to the District Magistrate of the District in which converted person resides ordinarily.

(2) The District Magistrate shall display a copy of the declaration on the notice board of the office till the date of confirmation.

(3) The said declaration shall contain the requisite details, i.e. the particulars of the convert such as date of birth, permanent address, and the present place of residence, father's/husband's name, the religion to which the convert originally belonged and the religion to which he/she has converted, the date and place of conversion and nature of process gone through for conversion.

(4) The converted individual shall appear before the District Magistrate within twenty one days from the date of sending/filing the declaration to establish his/her identity and confirm the contents of the declaration.

(5) The District Magistrate shall record the factum of declaration and confirmation in a register maintained for this purpose. If any objections are notified, he may simply record them, i.e., the name and particulars of objectors and the nature of objection.

(6) Certified copies of declaration, confirmation and the extracts from the register shall be furnished to the parties, who gave the declaration or to his/her authorized legal representative on his/her request.

(7) The contravention of sub-sections (1) to (4) shall have the effect of rendering the said conversion illegal and void.

**10. Punishment for violation of provisions of Act by an institution or organization.-** (1) If any institution or organization violates the provisions of this Act, the person or persons in charge of the affairs of the organization or the institution, as the case may be, shall be subject to punishment as provided under section 5 and the registration of the organization or the institution under any law for the time being in force may be cancelled by competent authority upon reference made by the District Magistrate in this regard.

(2) The State Government shall not provide any financial aid or grant to such institution or organization violating the provisions of this Act.

**11. Parties to offence.-** When an offence is committed under this Act, each of the following shall be deemed to have taken part in committing the offence and shall be guilty of the offence, and shall be charged as if he has actually committed the said offence, that is to say,-

(i) every person who actually does the act which constitutes the offence;

(ii) every person who does or omits to do any act for the purpose of enabling or aiding another person to commit the offence;

(iii) every person who aids or abets another person in committing the offence;

(iv) any person who counsels, convinces or procures any other person to commit the offence.

**12. Burden of proof.-** The burden of proof as to whether a religious conversion was not effected through misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage, lies on the person who has caused the conversion and, where such conversion has been facilitated by any person, on such other person.

**13. Protection of action taken in good faith.-** No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against any authority or officer for anything done in good faith or intended to be done, or purported to be done, or omitted to be done in pursuance of this Act, or any rule or order made thereunder.

**14. Act to be in addition to any other law.-** The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

**15. Power to make rules.-** (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

**16. Power to remove difficulties.-** (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature.

**SCHEDULE -I**

Form of Declaration

[See sub-section (1) of section 8]

**Intimation regarding intended conversion from one religion to another**

To,

The District Magistrate
District.....
Rajasthan.

Sir,

I, .....s/o/d/o..... r/o..... intend to perform necessary ceremony for conversion from.....religion to.....religion, do hereby, give intimation of intended conversion as required by sub-section (1) of section 8:

1. Name of the person to be converted.....
2. Name of the :
   (a) Father of the person to be converted.....
   (b) Mother of the person to be converted.....
3. Address of the person to be converted
   House No. .....Ward No. .....Mohalla.....
   Village.....Tehsil.....District.....
4. Age.....(DOB)
5. Sex.....
6. Occupation and monthly income .....
7. Whether married or unmarried.....
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted.....
9. If any minor, name and full address of the guardian, if any, .....
10. Whether belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such caste.....
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details-
    House No. .....Ward No. .....Mohalla.....
    Village.....Tehsil.....District.....
12. Date for Conversion……
13. Religious priest:
    (a) Name, qualification and experience.....
    .....
    (b) Address.....
    .....

**VERIFICATION**

I, .....do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature…….
Date…….
Place……

**SCHEDULE - II**

Form of Notice

[See sub-section (2) of section 8]

**Notice by the religious priest regarding intended conversion from one religion to another**

To,

The District Magistrate
District.....
Rajasthan.

Sir,

I, .....s/o/d/o..... r/o..... do hereby, give notice as required by sub-section (2) of section 8 for intended conversion from.....religion to.....religion and particulars of aforesaid intended conversion are as below:

1. Name of the person to be converted.....
2. Name of the :
   (a) Father of the person to be converted.....
   (b) Mother of the person to be converted.....
3. Address of the person to be converted
   House No. .....Ward No. .....Mohalla.....
   Village.....Tehsil.....District.....
4. Age.....(DOB)
5. Sex.....
6. Occupation and monthly income .....
7. Whether married or unmarried.....
8. Name of persons, if any, dependent upon the person to be converted.....
9. If any minor, name and full address of the guardian, if any, .....
10. Whether belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such caste.....
11. Name of the place where the conversion ceremony is intended to take place with full details-
    House No. .....Ward No. .....Mohalla.....
    Village.....Tehsil.....District.....
12. Date for Conversion……
13. Religious priest:
    (a) Name, qualification and experience.....
    (b)Address.....
    .....

**VERIFICATION**

I, .....do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature……..
Date……..
Place……..

**SCHEDULE - III**

Form of Declaration

(See section 9)

**Intimation regarding conversion from one religion to another**

To,

The District Magistrate
District.....
Rajasthan.

Sir,

I, .....s/o/d/o..... r/o..... having performed the necessary ceremony for conversion from..... religion to.....religion, do hereby, give intimation of the conversion as required by section 9 as under:

1. Full Name of the person converted:
   (a) before conversion.....
   (b) after conversion.....
2. Name of the :
   (a) Father of the person converted.....
   (b) Mother of the person converted.....
3. Address of the person converted
   House No. .....Ward No. .....Mohalla.....
   Village.....Tehsil.....District.....
4. Age.....(DOB)
5. Sex.....
6. Occupation and monthly income .....
7. Whether married or unmarried.....
8. Name of persons, if any, dependent upon the person converted .....
9. If any minor, name and full address of the guardian, if any, .....
10. Whether belong to Scheduled Caste or Scheduled Tribe and if so, particulars of such caste.....
11. Name of the place where the conversion ceremony has taken place with full details-
    House No. .....Ward No. .....Mohalla.....
    Village.....Tehsil.....District.....
12. Date for Conversion.....
13. The manner in which conversion is observed ……
    ……
14. Religious priest:
    (a) Name, qualification and experience.....
    .....

(b) Address.....
.....

15. Names, addresses and other particulars (relationship with the person converted, if any) of at least two persons other than religious priest who had taken part in the conversion ceremony:

(1).....
.....

(2).....
.....

**VERIFICATION**

I, .....do hereby declare that the information stated above is true to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed.

Signature
Witness: (1).....
Witness: (2).....

Date……..
Place…….

_____

## STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Constitution of India guarantees religious freedom to all persons which reflects the social harmony and spirit of India. The objective of this right is to sustain the spirit of secularism in India. According to the Constitution, State has no religion and all religions are equal before the State, and no religion shall be given preference over the other. All persons are free to preach, practise and propagate any religion of their choice.

The Constitution confers on each individual the fundamental right to profess, practise and propagate his religion. However, the individual right to freedom of conscience and religion cannot be extended to construe a collective right to proselytize; the right to religious freedom belongs equally to the person converting and the individual sought to be converted.

However, in the recent past many such examples have come to light where gullible persons have been converted from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by fraudulent means. The law related to right to religious freedom already exists in various States of the country but there was no statute on the said subject in Rajasthan.

In view of the above, it was decided to enact a law to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or fraudulent means or by marriage and for matters connected therewith or incidental thereto.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence this Bill.

भजन लाल शर्मा,
**Minister Incharge.**

**RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY**

*A*

*Bill*

*to provide for prohibition of unlawful conversion from one religion to another by misrepresentation, force, undue influence, coercion, allurement or by any fraudulent means or by marriage and for the matters connected therewith or incidental thereto.*

**(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)**

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
**Principal Secretary.**

**Government Central Press, Jaipur.**